ऑन लाईन नं.RCMS2023/71

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 36/2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री नारायण छाबड़ा —खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक— **मै0** शिव ऑयल मील , पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : 29.03.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.08.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः—एफएसएसए/2020/830 दिनांक 26.10.2020 एवं क्षेत्राधिकार अधिसूचना 11.04.2012 अनुसार प्रकाशित के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.12.2022 दोपहर बाद 2.00 पीएम पर **मै0** शिव ऑयल मील , पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता ओमप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री नारायण छाबड़ा को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **सरसों का तेल (शिव ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखें 10 कार्टूनों में लगभग 150 लीटर **सरसों का तेल (शिव ब्राण्ड)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। मुझे इसी **सरसों का तेल (शिव ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **सरसों का तेल (शिव ब्राण्ड)** 500 मिली के X4 कुल 2 लीटर (चार मूल सील्ड बोतलें) को विक्रेता से क्रय किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **सरसों का तेल (शिव ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 290/— रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे ओमप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री नारायण छाबड़ा एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक ओमप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री नारायण छाबड़ा को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों का तेल (शिव ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर** डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1608** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1608** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे ओमप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री नारायण छाबड़ा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1091/Act/2022/1091 Dated 22.12.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1608 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त ओमप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री नारायण छाबड़ा **मै0** शिव ऑयल मील , पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **सरसों का तेल (शिव ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.03.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:–

1. परिवाद की चरण संख्या 2 के सम्बन्ध में निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी के संस्थान पर पहुंचकर प्रार्थी से जानकारी चाहे जाने पर प्रार्थी द्वारा जानकारी दी गई, परन्तु खाद्व सुरक्षा अधिकारी ने मनमानी कार्यवाही करते हुए सरसों के तेल में मिलावट होने का केवल शक जाहिर किया गया और फिर मनमाने ढंग से कार्यवाही की गई है, जो कि कतई अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा विक्रय किया जा रहा सरसों का तेल उच्च क्वालिटी का मिलावट रहित है।
2. यह कि परिवाद की चरण संख्या 3 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में निवेदन है कि खाद्व सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमतूना लेते समय जो रसीद कैश मीमों की प्रति पेश की गई है वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मुद्रित एवं हस्तलिखित रसीद है। उक्त मुद्रित कैश मीमों/विक्रय बिल के अंकित लेखन/भाषा किसी कैश मीमों की नहीं है। यह आवेदक की स्वयं की मुद्रित कैश मीमों है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं की मुद्रित कैश मीमों पर जबरन प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये है। यहां पुनः उल्लेखित करना आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय एवं कार्यवाही के दौरान समस्त कार्यवाही एवं दस्तावेजों के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं लिया गया है, दोनो गवाह विभाग के रखे गए है, जबकि विधिनुसार कम से कम एक स्वतन्त्र गवाह लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सम्बन्धित परिवाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण का कार्य सहीं ढंग से एफएसएसए अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार विधिवत् रूप से नहीं किया गया है।
3. यह कि परिवाद का चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है, इसके सम्बन्ध में जवाब परिवाद की चरण सख्या 3 में विस्तारपूर्वक जवाब में दिया जा चुका है।
4. यह कि परिवाद की चरण सख्या 5 में उल्लेखित तथ्य के सम्बन्ध में निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना के सम्बन्ध में उक्त परिवाद प्रस्तुत करते समय भी सरसों के तेल के लिए गए नमूने के सम्बन्ध में एक रूपता प्रदान करने एवं सैम्पल लेने हेतु चार मूल सील्ड बोतले विक्रेता से खरीद करना बताया है। खाद्य सुरक्षा अधिकरी नमूना लेते समय एवं कार्यवाही के दौरान समस्त कार्यवाही एवं दस्तावेजों के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं लिया गया है, दोनों गवाह विभाग के रखे गए है, जबकि विधिनुसार कम से कम एक स्वतंत्र गवाह लिया जाना अत्यंत आवश्यक है।
5. यह कि परिवाद की चरण संख्या 6 में अंकित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किए गए है , वह अस्वीकार है।
6. यह कि परिवाद की चरण संख्या 7 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में निवेदन है कि खाद्य विश्लेषक बीकानेर द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि जो नमूना पैकिंग सहित खाद्य विश्लेषक को जांच हेतु भेजा गया था उसकी फार्म संख्या 5–ए फर्द रिपोर्ट व फार्म संख्या 6 ममोरेडम में कहीं भी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Best Before Nutritional Information MFG Date,Weight, आदि का ब्यौरा नहीं अंकित किया गया है।

7. यह कि परिवाद की चरण संख्या 8 में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई है, जिसके तहत कार्यवाही करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा माननीय जिला कलेक्टर का Improvement Notice जारी करने की सिफारिश की जानी चाहिए थी। उक्त नियम की पालना भारत के अन्य राज्यों में की जाती है, जबकि उक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस नियमों का पालन नहीं किया गया है चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जिसमें कि यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी द्वारा मानक नियमों के अनुसार होते हुए भी माननीय न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण प्रस्तुत किया है, वह नियम विरूद्व है। प्रार्थी के विरूद्व उक्त प्रकरण इसी आधार पर खारिज फरमाये जाने योग्य है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before होने पर क्या फुड मिस–ब्राण्डेड की परिभाषा में आएगा, के जवाब में लिखा है कि नहीं आएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में धारा 32 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है जिसकी पालना में सुरक्षा आकिारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई है, जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है। देश के अन्य प्रान्तों में भी उक्त नोटिस जारी कर सुधार हेतु मौका दिया जाता है।
8. यह कि परिवाद की चरण संख्या 9 व 10 में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी पर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी के विरूद्व उक्त परिवाद की कार्यवाही खारिज किए जाने योग्य है।
9. यह कि परिवाद की चरण सख्या 11 में वर्णित तथ्यों प्रार्थी के विरूद्व साबित नहीं होने से परिवाद की कार्यवाही को ड्रोप किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतः जवाब परिवाद प्रार्थी की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों की कोई अवहेलना नहीं की गई है और जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है, जिससे कि किसी को असुरक्षा भी नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवाद न्यायहित में निरस्त किए जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सरसों का तेल (शिव ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1608** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1091/Act/2022/1091 Dated 22.12.2022 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमतूना लेते समय जो रसीद कैश मीमों की प्रति पेश की गई है

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मुद्रित एवं हस्तलिखित रसीद है। उक्त मुद्रित कैश मीमों/विक्रय बिल के अंकित लेखन/भाषा किसी कैश मीमों की नहीं है। यह आवेदक की स्वयं की मुद्रित कैश मीमों है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं की मुद्रित कैश मीमों पर जबरन प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये है। यहां पुनः उल्लेखित करना आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय एवं कार्यवाही के दौरान समस्त कार्यवाही एवं दस्तावेजों के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं लिया गया है, दोनो गवाह विभाग के रखे गए है, जबकि विधिनुसार कम से कम एक स्वतन्त्र गवाह लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सम्बन्धित परिवाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण का कार्य सहीं ढंग से एफएसएसए अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार विधिवत् रूप से नहीं किया गया है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना के सम्बन्ध में उक्त परिवाद प्रस्तुत करते समय भी सरसों के तेल के लिए गए नमूने के सम्बन्ध में एक रूपता प्रदान करने एवं सैम्पल लेने हेतु चार मूल सील्ड बोतले विक्रेता से खरीद करना बताया है। खाद्य सुरक्षा अधिकरी नमूना लेते समय एवं कार्यवाही के दौरान समस्त कार्यवाही एवं दस्तावेजों के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं लिया गया है, दोनों गवाह विभाग के रखे गए है, जबकि विधिनुसार कम से कम एक स्वतंत्र गवाह लिया जाना अत्यंत आवश्यक है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई है, जिसके तहत कार्यवाही करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा माननीय जिला कलेक्टर का Improvement Notice जारी करने की सिफारिश की जानी चाहिए थी। उक्त नियम की पालना भारत के अन्य राज्यों में की जाती है, जबकि उक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस नियमों का पालन नहीं किया गया है चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जिसमें कि यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी द्वारा मानक नियमों के अनुसार होते हुए भी माननीय न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण प्रस्तुत किया है, वह नियम विरूद्व है। प्रार्थी के विरूद्व उक्त प्रकरण इसी आधार पर खारिज फरमाये जाने योग्य है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before होने पर क्या फुड मिस–ब्राण्डेड की परिभाषा में आएगा, के जवाब में लिखा है कि नहीं आएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में धारा 32 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है जिसकी पालना में सुरक्षा अकिारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई है, जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है। देश के अन्य प्रान्तों में भी उक्त नोटिस जारी कर सुधार हेतु मौका दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों की कोई अवहेलना नहीं की गई है और जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है, जिससे कि किसी को असुरक्षा भी नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवाद न्यायहित में निरस्त किए जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अभिहित जिला कलक्टर (खाद्य) श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Mustard Oil (Shiv Brand)" bearing Code No and Sr. No. K-1608, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त ओमप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री नारायण छाबड़ा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त ओमप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री नारायण छाबड़ा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में ओमप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री नारायण छाबड़ा खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
विधि निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर